मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र – इन्दौर

शुद्धि पत्र क्रमांक 01/05/परीक्षा/2010 , दिनांक 28.06.2010

प्राचार्य वर्ग –1 एवं प्राचार्य वर्ग–2 परीक्षा 2010

1. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन क्रमांक 05/परीक्षा/2010 दिनांक 21.06.2010 द्वारा तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु प्राचार्य वर्ग–1 तथा प्राचार्य वर्ग–2 के पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है ।

2 सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय , मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक एफ़–सी–3–12/2010/1/3, दिनांक 04.06.2010 में विहित व्यवस्था के अनुरूप उक्त विज्ञापन में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

"मध्य प्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी तथा राज्य के निगम, मंडल, परिषद नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी (जिसमें महिला कर्मचारी भी सम्मिलित है) तथा नगर सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रहेगी । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उक्त श्रेणी के कर्मचारियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी । उपरोक्त रियायत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगी ।"

3 ऐसे आवेदकों को उक्त छूट के अतिरिक्त विज्ञापन के परिशिष्ठ –1 (एक) में अंकित अन्य किसी छूट का लाभ प्राप्त नहीं होगा किन्तु परिशिष्ठ 1 (दो) में उल्लेखित प्रोत्साहनस्वरूप देय छूटों में से अधिकतम छूट वाले किसी एक छूट का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी तत्संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर देय होगा ।

4 विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी ।

प्रभारी सचिव